श्री सभापति: नेक्स्ट क्वैश्चन-110, ...(व्यवधान)... अब बोलने का क्या फायदा, आपका यह क्वैश्चन में नहीं जा रहा है। ....(व्यवधान)... मैं एलाऊ नहीं कर रहा हूं। बैठ जाइए।

Recognition of degrees awarded by IGNOU

*110. SHRI DATTA MEGHE: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Indira Gandhi National Open University (IGNOU) was established under an Act of Parliament and hence all universities in the country are bound to accept the degrees awarded by it;

(b) whether it is a fact that Guru Nanak Dev University has refused to recognise certain degrees awarded by IGNOU and other such universities; and

(c) if so, Government's reaction thereto and the remedial action taken in the interest of degree-holders of IGNOU?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MD. ALI ASHRAF FATMI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Indira Gandhi National Open University(IGNOU) has been established by an Act of Parliament (No. 50 of 1985) and the degrees/diplomas/certificates awarded by it are treated equivalent to the corresponding awards of other Universities in the country. The University Grants Commission has issued instructions on the subject from time to time.

According to the information furnished by the Guru Nanak Dev University, Amritsar, it is yet to recognize the MCA degree of IGNOU. Universities being autonomous, mutual recognition and equivalence of awards are decided by each University in accordance with its Statutes. The Association of Indian Universities encourages the practice of reciprocal recognition of Degrees by Universities.

श्री दत्ता मेघे: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो विश्वविद्यालय है, जो यूजीसी की इंस्ट्रक्शन्स हैं, उसको नहीं मानता है, जैसे अभी गुरू नानक

देव विश्वविद्यालय ने पहले यह आश्वासन दिया था कि वह इग्नू की डिग्री और डिप्लोमा को मान्यता देगा, लेकिन अब इस आश्वासन से वह पीछे हट रहा है, इसके क्या कारण हैं? क्या गुरू नानक देव विश्वविद्यालय के अपने नियम हैं या कोई अपना पाठ्यक्रम है? क्या ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं, जो गुरू नानक देव विश्वविद्यालय की डिग्रियों को मान्यता नहीं देते? सर, सुप्रीम कोर्ट का भी यह जजमेंट था।

श्री सभापति: ठीक है, उसको छोड़िए। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: चेयरमैन सर, दरअसल गुरू नानक देव विश्वविद्यालय ने किसी भी डिग्री को मना नहीं किया है, वह अभी कंसीड्रेशन में है। इससे पहले गुरू नानक देव विश्वविद्यालय ने इग्नू के एमबीए, पीजीडीसीए और दूसरी बैचलर डिग्रियों को मान्यता दे रखी है, लेकिन यह स्पेसिफिक सिर्फ एमसीए की डिग्री के बारे में वह कंसीडर कर रहे हैं। इस पर वे जल्दी कोई फैसला ले लेंगे।

श्री दत्ता मेघे: सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि गुरू नानक देव विश्वविद्यालय ने देश के किसी अन्य विश्वविद्यालय की डिग्री को मान्यता देने के लिए अपने सिद्धांत बना रखे हैं और मानदंड तय किए हैं? क्या इस विश्वविद्यालय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, जो वह सारे कानूनों की अवहेलना कर मनमानी करता है? यह जो हो रहा है, दूसरी जगह की डिग्रियों को नहीं मान रहा है, तो ये चीजें तंग करने की हैं। इस पर सरकार क्या कुछ कर रही है?

श्री सभापति: मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आपको ....**(व्यवधान)...**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन समय समय पर इंस्ट्रक्शन्स देती है और साथ ही जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज है, उनकी आपस में सहमति भी है। इन सब के बावजूद हर यूनिवर्सिटी की कुछ न कुछ ऑटोनोमी है, किसी स्पेसिफिक डिग्री के लिए उनको राइट है कि वह अपने यहां चर्चा करे, बातचीत करके अगर उसके अंदर कोई कमी पाए, तो वह मना भी कर सकती है। लेकिन जहां तक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का कहना है कि इग्नू की सारी डिग्रियों को वह मान्यता दे और ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से मान्यता है, उसकी डिग्रियों को कबूल करे, लेकिन ऑटोनोमी हर यूनिवर्सिटी के पास है, वह किसी स्पेसिफिक डिग्री के बारे में विचार कर सकती है। ....**(व्यवधान)...**

श्री दत्ता मेघे: यह जो है, इससे गड़बड़ होती है, जो ऑटोनोमी की बात करते हैं। ....**(व्यवधान)...** सर, बहुत सी डिग्रियां होती हैं, दूसरी जगह उसको मान्यता नहीं होती। सर, उत्तर में भी गलत जवाब दिया है।

श्री सभापति: वह गलत किया है, सही किया है, मैं तो उसको ठीक नहीं कर सकता। .... (व्यवधान)...

श्री दत्ता मेघे: सर, फिर यह कैसे कंट्रोल होगा? सर, जो लोग डिग्रियां लेते हैं, उनको जोब वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, तो वे कैसे करेंगे? इसकी स्पष्टता आनी चाहिए, सर।

श्री सभापति: नेक्स्ट क्वैश्चन-111, श्री कर्णेन्दु भट्टाचार्य।

REC Silchar

*111. SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Regional Engineering College, Silchar, Assam has been converted into NIT;

(b) whether the post of its principal is lying vacant for more than a year or so;

(c) whether Government are taking any action to fill up the post; and

(d) if so, by when the post is likely to be filled up?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MD. ALI ASHRAF FATMI): (a) to (c) Yes, Sir.

(d) The post will be filled shortly.

SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE: Sir, the Regional Engineering College at Silchar in Assam has been converted into NIT as per the decision taken by the earlier Government. But the institute does not have a permanent Director or Principal for the past one and a half years. What is the reason for this? Would the hon. Minister come up with a reply regarding this prestigious institution of India? We all know the situation regarding admission of students all over the country. There is no permanent Principal in this institute.

I would like to know from the hon. Minister when a Principal or Director would be appointed on a permanent basis.

श्री मोहम्मद अली फातमी: सर, रीज़नल इंजीनियरिंग कालेज, सिलचर को 28 जून, 2002 को डीम यूनिवर्सिटी NIT का दर्जा दिया गया था। उसके बाद से कम से कम तीन मर्तबा इस पोस्ट के